रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 774] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 18, 2019/माघ 29, 1940
No. 774] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 18, 2019/MAGHA 29, 1940

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2019

का.आ. 898(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश साधारण जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

7 फरवरी, 2019

श्री जे. मोहम्मद रफी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "याची" कहा गया है) ने अधोहस्ताक्षरी को, यह अभिकथन करते हुए तारीख 10 जुलाई, 2018 को एक याचिका प्रस्तुत की है कि श्री ए. अनवर राज़ा, रामनाथपुरम (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-35) तमिलनाडु से संसद् सदस्य (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रत्यर्थी" कहा गया है) भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गए हैं।

और याची ने यह अभिकथन किया है कि प्रत्यर्थी श्री ए. अनवर राज़ा, रामनाथपुरम निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य, तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का पद धारण करने से लाभ का पद धारण करने के लिए निरर्हित होने के दायी हैं। याची ने यह निवेदन किया है कि तारीख 30.4.2018 को तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन हुए थे जिसमें प्रत्यर्थी ने उक्त निर्वाचनों में भाग लिया था और उसे वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 की उपधारा (8) के अधीन निर्वाचित घोषित किया था। याची ने यह अभिकथन किया है कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रु. 50,000/- मानदेय प्राप्त करने का हकदार है और इसलिए प्रत्यर्थी को लाभ का पद धारण करने के कारण निरर्हित किया जाना चाहिए।

और, उक्त याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 की अपेक्षानुसार भारत निर्वाचन आयोग को, उसकी राय लेने के लिए निर्दिष्ट की गई थी ।

और, भारत निर्वाचन आयोग ने मामले की जांच की तथा पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण (टीआई) विभाग, तमिलनाडु सरकार से कतिपय जानकारी मांगी थी । उस विभाग ने सूचित किया है कि जी.ओ. सं. 68, बी.सी., एम.बी.सी. और एम.डब्ल्यू.(टीआई) विभाग तारीख 14.12.2015 के अनुसार तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष 50,000 रुपए मानदेय प्राप्त करने का हकदार है ;

और, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 31 निम्नलिखित कथन करती है :-

> *"31. संसद् की सदस्यता के लिए निरर्हता का निवारण—इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के पद, संसद् सदस्य चुने जाने या संसद् सदस्य होने (या संघ राज्यक्षेत्र के विधान–मंडल का सदस्य या किसी राज्य विधान-मंडल का सदस्य, यदि समुचित राज्य विधान–मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन ऐसा घोषित किया गया हो, होने) के लिए निरर्हित नहीं करेंगे और कभी भी निरर्हित करने वाले नहीं समझे जाएंगे";*

और, भारत निर्वाचन आयोग ने याचिका की जांच के पश्चात् 29 नवंबर, 2018 को अपनी राय दी है और यह अभिमत व्यक्त किया है कि प्रत्यर्थी श्री ए. अनवर राज़ा, रामनाथपुरम (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-35) तमिलनाडु से संसद् सदस्य लाभ का पद धारण करने की किसी निरर्हता से ग्रस्त नहीं हैं । तारीख 29 नवंबर, 2018 की भारत निर्वाचन आयोग की राय की प्रति इससे उपाबद्ध है;

अत:, अब, मैं रामनाथ कोविन्द, भारत का राष्ट्रपति, मामले पर विचार करते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभिव्यक्त राय को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित करता हूं कि श्री ए. अनवर राज़ा, रामनाथपुरम (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-35) तमिलनाडु से संसद सदस्य की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर श्री जे. मोहम्मद रफी द्वारा तारीख 10 जुलाई, 2018 को फाइल की गई याचिका चलाने योग्य नहीं है ।

भारत का राष्ट्रपति

राष्ट्रपति के आदेश का उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

2018 का निर्देश मामला सं. 6(पी)

[भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन भारत के माननीय राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश]

2018 का निर्देश मामला सं. 6(पी)- लाभ का पद धारण के लिए श्री ए.अनवर राज़ा, रामनाथपुरम (संसद् निर्वाचन क्षेत्र-35) तमिलनाडु के निरर्हता के प्रश्न पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन भारत के माननीय राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश ।

राय

यह निर्देश भारत निर्वाचन आयोग से चाही गई 'राय' के लिए है जो कि तारीख 10.07.2018 की शिकायत पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन तारीख 20.07.2018 को भारत के माननीय राष्ट्रपति से प्राप्त हुआ है, जिसमें श्री जे.मोहम्मद रफी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "याची" कहा गया है) ने श्री ए.अनवर राज़ा, रामनाथपुरम (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-35) तमिलनाडु से संसद् सदस्य (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रत्यर्थी कहा गया है) की लाभ का पद धारण करने के आधार पर निरर्हता चाही गई है ।

2. याची ने यह अनुरोध किया है कि 30.04.2018 को तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन हुए थे जिसमें प्रत्यर्थी ने भाग लिया था और उसे वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 की उपधारा (8) के अधीन निर्वाचित घोषित किया गया था । याची ने यह अभिकथन किया है कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रु.50,000/- मानदेय प्राप्त करने का हकदार है और इसलिए प्रत्यर्थी को लाभ का पद धारण करने के कारण निरर्हित किया जाना चाहिए ।

3. आयोग द्वारा की गई जांच के दौरान इस संबंध में पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यंक कल्याण (टीआई) विभाग, तमिलनाडु सरकार ने यह सूचित किया है कि जी.ओ.सं.68, बी.सी., एम.बी.सी. और एम.डब्ल्यू.(टीआई) विभाग, तारीख 14.12.2015 के अनुसार तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रु.50,000/- मानदेय प्राप्त करने का हकदार है ।

4. यहां यह उल्लेखनीय है कि वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 31 निम्नलिखित कथन करती है :

> *"31. संसद् की सदस्यता के लिए निरर्हता का निवारण —इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के पद, संसद् सदस्य चुने जाने या संसद् सदस्य होने [या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य या किसी राज्य विधान-मंडल का सदस्य, यदि समुचित राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन ऐसा घोषित किया गया हो, होने] के लिए निरर्हित नहीं करेंगे और कभी भी निरर्हित करने वाले नहीं समझे जाएंगे" ।*

5. वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 31 को ध्यान में रखते हुए आयोग की यह राय है कि श्री ए.अनवर राज़ा, रामनाथ पुरम (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-35) से संसद् सदस्य लाभ का पद धारण करने के लिए निरर्हित नहीं हैं ।

सुनील अरोड़ा	ओ.पी.रावत	अशोक लवासा
(निर्वाचन आयुक्त)	(मुख्य निर्वाचन आयुक्त)	(निर्वाचन आयुक्त)

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 29.11.2018

[फा. सं. एच.-11026/2/2018-वि.II]

डॉ. रीटा वशिष्ट, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2019

S.O. 898(E).— The following Order made by the President is published for general information:—

ORDER

7th February, 2019

Whereas Shri J.Mohmed Rafi (hereinafter the "Petitioner") has addressed a petition dated the July 10, 2018 to the undersigned alleging that Shri A. Anwhar Raajhaa, Member of Parliament from the Ramanathapuram (Parliamentary Constituency-35) Tamil Nadu (hereinafter the "Respondent"), has become subject to disqualification under Article 103 of the Constitution of India;

And whereas the Petitioner has alleged that the respondent, Shri A. Anwhar Raajhaa, Member of Parliament from the Ramanathapuram Constituency is liable to be disqualified for holding Office of Profit by occupying the office of Chairman of the Tamil Nadu Waqf Board. The Petitioner has submitted that on 30.04.2018 elections were held for the post of Chairman of the Tamil Nadu Waqf Board wherein the Respondent participated in the said elections and was declared as elected under sub-section (8) of Section 14 of the Waqf Act, 1995. The petitioner has alleged that the Chairman of the Tamil Nadu Waqf Board is entitled to receive an honorarium of Rs. 50,000- and therefore the respondent should be disqualified for holding an Office of Profit;

And whereas the said petition was referred to the Election Commission of India seeking its opinion as required under Article 103 of the Constitution of India;

And whereas, the Election Commission of India examined the matter and sought certain information from the Backward Classes, Most Backward Classes and Minorities Welfare (TI) Department, Government of Tamil Nadu. That Department has informed that the Chairman of the Tamil Nadu Waqf Board is entitled to receive an honorarium of Rs. 50,000/- as per G.O No. 68, B.C., M.B.C.& M.W.(TI) Department dated 14.12.2015;

And whereas, the section 31 of the Waqf Act, 1995 states as under:-

"31. Prevention of disqualification for membership of Parliament-It is hereby declared that the offices of the Chairperson or member of a Board shall not be disqualified and shall be deemed never to have been disqualified for being chosen as, or for being, a Member of Parliament (or a member of Union territory Legislature or a Member of a State Legislature if so declared under a law made by the appropriate State Legislature)";

And whereas Election Commission of India, after examining the petition has given its opinion on November, 29, 2018, opining, that the respondent Shri A.Anwhar Raajhaa, Member of Parliament from Ramannthapuram (Parliamentary Constituency-35) Tamil Nadu is not disqualified for holding Office of Profit. A copy of the opinion of Election Commission of India dated 29th November, 2018 is annexed hereto;

Now, therefore, having considered the matter in the light of the opinion expressed by the Election Commission of India, I, Ram Nath Kovind, President of India, in exercise of the powers conferred upon me under Article 103 of the Constitution of India, do hereby hold that the petition dated July 10, 2018, filed by Shri J.Mohmed Rafi, on the question of alleged disqualification of Shri A. Anwhar Raajhaa, Member of Parliament from the Ramanathapuram (Parliament Constituency-35) Tamil Nadu, is not maintainable.

President of India

ANNEXURE TO THE ORDER OF THE PRESIDENT

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN
ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

REFERENCE CASE NO. 6(P) OF 2018

[REFERENCE RECEIVED FROM THE HON'BLE PRESIDENT OF INDIA UNDER ARTICLE 103 OF THE CONSTITUTION OF INDIA]

Reference Case No. 6 (P) of 2018 – REFERENCE RECEIVED FROM THE HON'BLE PRESIDENT OF INDIA, UNDER ARTICLE 103 OF THE CONSTITUTION OF INDIA ON THE QUESTION OF DISQUALIFICATION OF SHRI A. ANWHAR RAAJHAA, MEMBER OF PARLIAMENT FROM RAMANATHAPURAM (PARLIAMENT CONSTITUENCY-35) TAMIL NADU FOR HOLDING OFFICE OF PROFIT.

OPINION

This is a reference seeking 'opinion' of the Election Commission of India which has been received from the Hon'ble President of India on 20.07.2018 under Article 103 of the Constitution of India on the complaint dated 10.07.2018 wherein Shri J.Mohmed Rafi (hereinafter referred to as 'the Petitioner') has sought disqualification of Shri A.Anwhar Raajhaa, Member of Parliament from Ramanathapuram (Parliamentary Constituency-35) Tamil Nadu (hereinafter referred to as 'the Respondent') on the ground of holding office of profit.

2. The Petitioner has submitted that on 30.04.2018 elections were held for the post of Chairman of the Tamil Nadu Waqf Board wherein the Respondent participated and was declared as elected under sub-section (8) of Section 14 of the Waqf Act, 1995. The Petitioner has alleged that the Chairman of the Tamil Nadu Waqf Board is entitled to receive an honorarium of Rs. 50,000/- and therefore the Respondent should be disqualified for holding an Office of Profit.

3. In the course of the inquiry conducted by the Commission in this regard the Backward Classes, Most Backward Classes and Minorities Welfare (TI) Department, Government of Tamil Nadu has informed that the Chairman of the Tamil Nadu Waqf Board is entitled to receive an honorarium of Rs. 50,000/- as per G.O. No. 68, B.C., M.B.C. & M.W. (TI) Department dated 14.12.2015.

4. It is pertinent to note that Section 31 of the Waqf Act, 1995 states as under:

"*31 Prevention of disqualification for membership of Parliament- It is hereby declared that the offices of the Chairperson or member of a Board shall not be disqualified and shall be deemed never to have been disqualified for being chosen as , or for being, a Member of Parliament [or a Member of Union territory Legislature or a Member of a State Legislature if so declared under a law made by the appropriate State Legislature]".*

5. In the view of Section 31 of the Waqf Act, 1995, the Commission hereby opines that Shri A. Anwhar Raajhaa, Member of Parliament from Ramanathapuram (Parliamentary Constituency-35) Tamil Nadu is not disqualified for holding Office of Profit.

Sunil Arora	O.P.Rawat	Ashok Lavasa
(ELECTION COMMISSIONER)	(CHIEF ELECTION COMMISSIONER)	(ELECTION COMMISSIONER)

Place: New Delhi

Date: 29.11.2018

[F. No. H-11026/2/2018-Leg.II]

Dr. REETA VASISHTA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.02.19 21:53:17 +05'30'